

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“प्रसारण एवं केबल सेवाओं हेतु टैरिफ संबंधी मुद्दों” से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की समय-सीमा को बढ़ाना

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 16 अगस्त, 2019 को “प्रसारण एवं केबल सेवाओं हेतु टैरिफ संबंधी मुद्दों” से संबंधित परामर्श पत्र जारी किया था और इस पर हितधारकों से 16 सितंबर, 2019 तक टिप्पणियां और 30 सितंबर, 2019 तक प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

2. हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमशः 23 सितंबर, 2019 और 7 अक्टूबर, 2019 की गई है। इसके बाद, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को और बढ़ाए जाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां व प्रति-टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल:- [arvind@trai.gov.in](mailto:arvind@trai.gov.in) या [vk.agarwal@trai.gov.in](mailto:vk.agarwal@trai.gov.in) पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-23220209 या फ़ैक्स: +91-11-23230056 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)  
सचिव, भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।**

